

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025 — माघ 25, शक 1946

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS-1103/4/2025-COMM.&INDUS . - राज्य शासन, एतद् द्वारा, औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत परिशिष्ट-1 की कंडिका (19) के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार नियम निर्मित करता है, अर्थात् -

नियम

1. नाम एवं विस्तार -

- (1) ये नियम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र नियम, 2024 कहे जावेंगे।
- (2) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होंगे।

2. प्रभावी दिनांक -

ये नियम राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।

3. परिभाषाएँ -

- (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत हो, इन नियमों में, -

(क) नीति से अभिप्रेत है, औद्योगिक विकास नीति 2024-30।

(ख) भूमि मूल्य से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/शवलीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के भुगतान मूल्य से है तथा इसमें सम्मिलित है- भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/भू-प्रब्याजि तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि। भूमि विकास पर किया गया व्यय, भूमि के मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक, मान्य होगा।

टीप- भूमि पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष की होना आवश्यक है।

(ग) भू-प्रब्याजि से आशय है भू आबंटन अधिकारी को आबंटित भूमि हेतु भुगतान की गई राशि (भू-भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य कर- उपकरणों को छोड़कर)

(घ) शेड-भवन के मूल्य से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में भूमि पर निर्मित फ़ैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, श्रमिक विश्राम कक्ष, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम के निर्माण अथवा क्रय पर किया गया व्यय।

टीप- अ. शेड-भवन क्रय किये जाने की स्थिति में क्रय विलेख पर दर्शित मूल्य, बशर्ते ऐसे शेड-भवन पर पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

ब. शेड-भवन पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष की होना आवश्यक है।

स. शेड-भवन क्रय/पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में उसके मरम्मत/ उन्नयन पर किये गये व्यय को मान्य स्थायी पूंजी निवेश की गणना में शामिल नहीं किया जावेगा।

(ड.) विद्युत आपूर्ति निवेश से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/ विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/ प्रतिस्थापन/ शवलीकरण के लिए विद्युत की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अथवा निजी कम्पनी को भुगतान की गयी राशि से है।

टीप – भुगतान की गई राशि में सिक्कूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति हेतु किए गए अन्य निवेश यथा ट्रांसफार्मर, केबल, विद्युत पैनल, मेन स्विच बोर्ड एवं अन्य इलेक्ट्रिकल सामग्री, जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित हो (उपभोक्ता सामग्री को छोड़कर) इस मद के अंतर्गत मान्य होंगे।

(च) जल आपूर्ति निवेश से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/प्रतिस्थापन/शवलीकरण के लिए औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में औद्योगिक उत्पाद हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्ते कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो। इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्कूरिटी डिपाजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों व दैनिक उपयोग/ पेय व्यवस्था हेतु व्यय की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(छ) प्लांट एवं मशीनरी व्यय से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में स्थापित प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना व परिवहन पर किये गये पूंजी निवेश/व्यय से है।

(ज) उपस्कर से आशय है एवं इसमें सम्मिलित हैं, प्रदाय किए जाने वाले सेवा हेतु अपेक्षित सभी सामग्री/ उपकरण एवं साधन (भवन सम्मिलित)। उदाहरणार्थ कम्प्यूटर, फर्नीचर, लिफ्ट, एलिवेटोर, भवन जो सेवा से सीधे संबंधित हों।

(2) अन्य प्रयुक्त शब्दों हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो नीति के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं।

4. सक्षम अधिकारी – वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम अधिकारी निम्नानुसार होंगे—

(क) सूक्ष्म, लघु विनिर्माण उद्यम/सूक्ष्म, लघु सेवा उद्यम हेतु संबंधित जिले के मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

(ख) मध्यम, वृहद विनिर्माण उद्यम/मध्यम, वृहद सेवा उद्यम हेतु संचालक/अपर संचालक/ संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय

5. आवेदन की प्रस्तुति –

(1) प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्ररूप उपाबंध-1 अनुसार होगा।

(2) प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व इकाई को उद्यम आकांक्षा पंजीयन प्राप्त करना अनिवार्य है।

(3) इकाई को प्रमाण-पत्र हेतु ऑनलाईन आवेदन पूर्ण रूप से भरकर आवश्यक दस्तावेजों (यथास्थिति जो लागू हो) के साथ प्रस्तुत करना होगा।

6. आवश्यक दस्तावेज –

(1) शपथ-पत्र निर्धारित प्रारूप (उपाबंध-2) में।

- (2) उद्योग संचालनालय द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म द्वारा जारी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्ररूप (उपाबंध-3) में।
- (3) उद्योग संचालनालय द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड इंजीनियर फर्म द्वारा जारी प्रमाण पत्र निर्धारित प्ररूप (उपाबंध-4) में।
टीप - क्रमांक (2) एवं (3) के संदर्भ में अन्य मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट/चार्टर्ड इंजीनियर फर्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालनालय द्वारा सूचीबद्ध फर्म से कराना अनिवार्य होगा। संचालनालय से सूची जारी होने तक Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) से मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेंट (CA) एवं Institution of Engineers (India) (IEI) से मान्यता प्राप्त चार्टर्ड इंजीनियर (CE) का प्रमाण पत्र मान्य होगा।)
- (4) उद्यमी/अधिकृत प्रतिनिधि का आधार कार्ड।
- (5) भूमि संबंधी दस्तावेज/पंजीकृत लीज-डीड।
- (6) प्रथम कच्चा माल क्रय देयक एवं प्रथम विक्रय देयक।
- (7) विद्युत कनेक्शन प्रमाण पत्र। ताप विद्युत परियोजनाओं एवं अन्य विद्युत उत्पादन करने वाली इकाईयों का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के निर्धारण हेतु उर्जा विभाग/पीजीसीआईएल/अन्य प्राधिकृत कंपनी के निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
- (8) रोजगार संबंधी जानकारी (उपाबंध-5) अनुसार।

7. आवेदन विशेष में आवश्यक दस्तावेज (यथा लागू) -

- (1) उद्यमी के वर्ग से संबंधित जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांग/सेवानिवृत्त सैनिक/ अग्निवीर सैनिक/ नक्सलवाद से प्रभावित वर्ग का प्रमाणपत्र।
- (2) पर्यावरणीय सम्मति अथवा सूचना पत्र।
- (3) फ़ैक्ट्री लायसेंस एवं फ़ैक्ट्री-लेआउट।
- (4) विकल्प प्रमाण पत्र।
- (5) विद्यमान उद्योग में विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अभिस्वीकृति।
- (6) विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (नीति के परिशिष्ट-1 की कंडिका (32) अनुसार)।
- (7) ई. पी. एफ. पंजीयन प्रति।
- (8) कृषि उपज मंडी पंजीयन प्रमाण पत्र।
- (9) पार्टनरशीप डीड/एम.ओ.ए./ए.ओ.ए.।

8. आवेदन पर कार्यवाही -

- (1) इकाई द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी/उपरोक्तानुसार दस्तावेज अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में इकाई का आवेदन, सभी बिंदुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुए, एक बार में ही सक्षम अधिकारी द्वारा इकाई को आवेदन प्राप्ति से 10 दिवस के भीतर वापस किया जावेगा। इकाई को किसी भी स्पष्टीकरण हेतु 60 दिवस का समय दिया जायेगा। 60 दिवस के भीतर वांछित स्पष्टीकरण पुनः ऑनलाईन जमा न करने पर आवेदन स्वमेव निरस्त हो जावेगा।
- (2) प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन, सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यम/ सेवा उद्यम के प्रकरणों में सहायक प्रबंधक/ प्रबंधक तथा मध्यम व वृहद विनिर्माण उद्यमों/सेवा उद्यम के प्रकरणों में, प्रबंधक/महाप्रबंधक/ मुख्यमहाप्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्न सहपत्रों के

स्वप्रमाणित जानकारियों में, किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की दशा में, उसे सिद्ध करने का दायित्व संबंधित आवेदक इकाई का ही होगा।

- (3) निरीक्षणकर्ता अधिकारी, स्थल निरीक्षण के दौरान, सम्पूर्ण परिसर, सभी मशीनों एवं सभी उत्पादों का जिओटैग्ड फोटोग्राफ अपलोड करेगा।
- (4) स्थल निरीक्षण दिनांक के पश्चात निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा इकाई का आवेदन अभिमत एवं टीप सहित यथासंभव निरीक्षण दिनांक को ही ऑनलाईन अग्रेषित किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं निरीक्षणकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। प्रमाण-पत्र हेतु प्राप्त आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस के भीतर किया जायेगा।
- (5) सक्षम अधिकारी द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र **उपाबंध-6** अनुसार जारी किया जावेगा।
- (6) आवेदन-पत्र अस्वीकृत/निरस्त किये जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा अस्वीकृत/निरस्त किये जाने के समस्त कारणों का एवं अपील के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा, जो कि इकाई के ऑनलाईन लॉग-ईन पर उपलब्ध रहेगा।

9. स्थल निरीक्षण हेतु दिशा-निर्देश –

- (1) नीति में दी गई परिभाषाओं के आधार पर एवं विद्यमान उद्यमों के विस्तारीकरण/शक्तीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण से संबंधित प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जावे कि प्लांट एवं मशीनरी में निवेश, उत्पाद की क्षमता एवं प्रदत्त रोजगार में निर्धारित मात्रा में वृद्धि हुई है अथवा नहीं।
- (2) विद्यमान इकाई के विस्तारीकरण/शक्तीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण के प्रकरणों में नीति के अनुसार उत्पाद/उत्पादों की क्षमता का निर्धारण चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाण पत्र /चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण-पत्र के आधार पर तथा निर्धारित न्यूनतम पूंजी निवेश का सत्यापन चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जावेगा।
- (3) निरीक्षणकर्ता अधिकारी इकाई के उत्पाद/सेवा का निरीक्षण करेंगे एवं वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ होने की तिथि का सत्यापन (यथास्थिति जो लागू हो) उत्पाद/सेवा से संबंधित प्रथम कच्चा माल क्रय/विद्युत कनेक्शन दिनांक तथा प्रथम विक्रय की तिथि के आधार पर करेंगे। वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने का दिनांक, प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक/विद्युत कनेक्शन दिनांक से प्रथम विक्रय तक के मध्य का कोई दिनांक हो।
- (4) निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा रोजगार एवं राज्य के मूल निवासी संबंधी जानकारी का सत्यापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अद्यतन परिपत्रों/निर्देशों के अनुसार किया जावेगा।
- (5) स्थायी पूंजी निवेश के मान्य मदों के अंतर्गत भूमि मूल्य, शेड-भवन के मूल्य, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश, प्लांट एवं मशीनरी तथा उपस्कर की गणना इनकी परिभाषा अनुसार की जायेगी।

10. प्रमाण पत्र की विशिष्टियां –

- (1) प्रमाण पत्र में चरणबद्ध उत्पादन की प्रविष्टियाँ/विद्यमान उद्योग में विस्तार/शक्तीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण से संबंधित प्रविष्टियाँ हेतु संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, जिसमें पूर्व के समस्त उत्पादों, उत्पादन क्षमता, निवेश की राशि व रोजगार का समावेश होगा।

नीति के प्रवृत्त रहने की कालावधि में विस्तार, शवलीकरण, प्रतिस्थापन व आधुनिकीकरण में से कोई एक या उससे अधिक प्रकार का निवेश एक साथ किये पर संशोधित उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

- (2) प्रमाण पत्र में यह भी प्रमाणन किया जावेगा कि प्रमाण पत्र में अंकित की गई प्रविष्टियां नीति के तहत है व उद्योग नवीन/विद्यमान उद्योग में विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण अंतर्गत है।
- (3) थ्रस्ट सेक्टर के उद्यमों के प्रकरण में उत्पाद तथा प्लांट एवं मशीनरी में न्यूनतम पूंजी निवेश का सत्यापन (नीति के परिशिष्ट-2 में सूचीबद्ध) निरीक्षणकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र में थ्रस्ट सेक्टर उद्यम की प्रविष्टि की जाएगी। उत्पादन प्रमाण पत्र में थ्रस्ट सेक्टर/सामान्य सेक्टर/कोर सेक्टर उद्यम के प्रविष्टि के आधार पर नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी। थ्रस्ट सेक्टर हेतु पृथक से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात कार्यवाही –

- (1) प्रमाण पत्र आवेदन के साथ नीति के अंतर्गत अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति हेतु एक साथ आवेदन प्रस्तुत करने का विकल्प आवेदक को प्रदान किया जाएगा। प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात अनुदान/छूट/प्रतिपूर्ति के आवेदनों पर निर्णय संबंधित नियमों के आधार पर लिया जाएगा।
- (2) प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरणों में 06 माह तक, मध्यम उद्यमों के प्रकरणों में 12 माह तक तथा वृहद उद्यमों के प्रकरणों में 24 माह तक किये गये निवेश का समावेश प्रमाण पत्र में किया जाना होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा संशोधित प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा। साथ ही इकाई के आवेदन अनुसार, प्रमाण पत्र के अन्य प्रविष्टियों पर यथावश्यक संशोधन किया जा सकेगा।
- (3) प्रमाण पत्र के आधार पर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त कर रही इकाइयों के उत्पादन/सेवा गतिविधि निरंतरता सत्यापित करने हेतु प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व (9-12 माह के बीच) निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर इकाई के उत्पादनरत/सेवारत होने, उत्पाद/सेवा एवं राज्य के मूल निवासियों को नियमानुसार रोजगार प्रदान किए जाने का सत्यापन किया जाएगा। निरीक्षणकर्ता अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पादन निरन्तरता प्रमाण पत्र (उपाबंध-7 में) जारी किया जाएगा। सत्यापित निरन्तरता प्रमाण पत्र अगले 01 वर्ष के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु आधार होगा। पूर्व की नीतियों के अंतर्गत स्थापित इकाइयों को, जो वर्तमान में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त कर रही हैं, निरन्तरता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (4) यदि प्रमाण-पत्र में उल्लेखित प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार की चूक अथवा त्रुटि अथवा कमी अथवा भ्रामक जानकारी के आधार पर जारी होना पाया जाता है तो नोटिस देकर 15 दिवस का अवसर प्रदान करते हुये गुण-दोष के आधार पर प्रमाण-पत्र निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

12. अपील –

- (1) इन नियमों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध, उक्त आदेश के दिनांक से 45 दिवस के भीतर सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण उद्यम/सेवा उद्यम के प्रकरणों में आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ तथा मध्यम व वृहद विनिर्माण

उद्यम/सेवा उद्यम के प्रकरणों में सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी) के समक्ष अपील की जा सकेगी।

- (2) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों/सेवा उद्यमों के प्रकरणों में अपील शुल्क की राशि रू. 2000 तथा मध्यम एवं बृहद उद्यमों/सेवा उद्यम के प्रकरणों में रूपये 5000 का भुगतान करने पर ही अपील ग्राह्य होगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति/दिव्यांग/तृतीय लिंग/महिला उद्यमी/भूतपूर्व सैनिक/सेवानिवृत्त अग्निवीर/नक्सल प्रभावितों/आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रकरण में अपील शुल्क रूपये 1000 तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न प्रकरणों में रूपये 2500 का भुगतान किया जाना होगा।

- (3) अपील शुल्क विभाग के प्राप्ति शीर्ष (0852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 800-अन्य प्राप्तियां, 0674-अन्य प्राप्तियां) में ऑनलाईन/चालान के माध्यम जमा कर, पावती अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

13. स्वप्रेरणा से निर्णय –

राज्य शासन, भारसाधक सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा नियमानुसार उचित आदेश पारित कर सकेंगे, परन्तु प्रतिपूर्ति को निरस्त करने या उसमें परिवर्तन के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा। स्वयं के निर्णय की समीक्षा भी राज्य शासन, भारसाधक सचिव, उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग कर सकेंगे।

14. विविध –

- (1) इस अधिसूचना के अलग अलग भाषाओं में संस्करण जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग सक्षम होंगे। संकरणों में कोई विरोधाभास होने पर हिन्दी संस्करण की प्रधानता रहेगी।
- (2) इस अधिसूचना से संबंधित किसी मुद्दे पर मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा।
- (3) प्रमाण-पत्र का आवेदन, निरीक्षण एवं प्रमाण-पत्र के प्रारूप में एवं संबंधित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संशोधन का पूर्ण अधिकार राज्य शासन को होगा।
- (4) नीति में संशोधन किये जाने की स्थिति में उक्त संशोधन इस अधिसूचना में यथास्थिति लागू होंगे।
- (5) इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद राज्य के न्यायालय में ही दायर किया जा सकेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

उपाबंध-1

(नियम 5 देखें)

प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन

1. हेतु- नवीन/विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण/अतिरिक्त उत्पादन प्रमाण पत्र (जो लागू हो, चयन करें)
2. पूर्व में जारी उत्पादन प्रमाण-पत्र का क्रमांक व दिनांक (विस्तार/शवलीकरण प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण/अतिरिक्त उत्पादन प्रमाण पत्र की स्थिति में) -
3. उद्यम का नाम-
4. परियोजना लागत रु0 लाख में -
टीप- उद्यम आकांक्षा/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेन्स/एम.ओ.यू. हेतु दिये गये आवेदन के साथ संलग्न परियोजना प्रतिवेदन में औद्योगिक इकाई द्वारा दर्शायी गयी उद्योग की परियोजना लागत (कार्यशील पूंजीको छोड़कर)
5. संगठन का प्रकार - एकल स्वामित्व/भागीदारी/एल.एल.पी./प्रा.लि.कं./एच.यू.एफ.
6. उद्यमी की श्रेणी - सामान्य/एनआरआई-एफडीआई/निर्यातक/महिला/अजजा/अजा/अपिव/विकलांग (दिव्यांग)/अग्निवीर सैनिक/भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित
7. उद्यम की श्रेणी: सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद
8. उद्यम का वर्ग: सामान्य/थ्रस्ट सेक्टर/अपात्र/कोर
9. उद्यम का स्थल: (गांव/तहसील/विकासखण्ड/जिला/एरिया पिनकोड सहित)
10. विकासखण्ड का नाम एवं समूह :
11. प्रमुख विनिर्माण/सेवा गतिविधि एवं एन.आई.सी. कोड-
12. निर्मित उत्पाद/सेवा प्रदाय:

नवीन इकाई के लिये						विद्यमान इकाई में विस्तार/ प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण	
क्र.	उत्पाद/सेवा का नाम	गतिविधि कोड	उत्पादन दिनांक	क्षमता	इकाई	क्षमता में वृद्धि	विस्तार पश्चात् कुल क्षमता
1							
2							
शवलीकरण के प्रकरणों में							
3	शवलीकरण के अंतर्गत शामिल नवीन उत्पाद						

रिमार्क-उत्पाद हेतु-इकाई द्वारा आवेदित उत्पाद का एन.आई.सी. कोड स्पष्ट न होने पर इकाई द्वारा स्पष्ट किया जावेगा, जिसका सत्यापन निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

13. पूंजी निवेश:-

क्र.	विवरण	नवीन इकाई/ विद्यमान इकाई	विद्यमान इकाई का विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण	कुल पूंजी निवेश	विस्तार/शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण के अंतर्गत निवेश का प्रतिशत	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	भूमि/भूमि विकास					
2.	शेड-भवन					

3.	यंत्र-संयंत्र/उपकरण					
4.	अनुसंधान हेतु यंत्र-संयंत्र/उपकरण					
5.	विद्युत स्थापना					
6.	अन्य विद्युत उपकरण					
7.	जल आपूर्ति पर निवेश					
8.	अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र					
9.	जल हार्वैस्टिंग/ पुनर्चक्रीकरण					
10.	अन्य					
	योग					

14. रोजगार:

क्र.	श्रम संवर्ग	नवीन/विद्यमान उद्यम में प्रदत्त रोजगार			विद्यमान इकाई का विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण			महायोग			कुल रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का संवर्ग वार प्रतिशत
		राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर के निवासी	योग	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर के निवासी	योग	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर के निवासी	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	अकुशल	पुरुष									
		महिला									
		अन्य									
2.	कुशल	पुरुष									
		महिला									
		अन्य									
3.	प्रबंधकीय	पुरुष									
		महिला									
		अन्य									
	योग										

15. विद्युत भार एवं बी.पी.नम्बर

ऊर्जा के अन्य स्रोत : उद्यम आकांक्षा अनुसार

16. पंजीयन क्रमांक

- (1) पैन/भागीदारी फर्म पंजीयन क्र./सी.आई.एन. नम्बर/सोसायटी पंजीयन क्र.
 - (2) उद्यम आकांक्षा/ई.एम. भाग-2/आई.ई.एम. भाग-ब क्र.:
 - (3) पर्यावरण (परिचालन की सम्मति) क्र.:(यदि लागू हो)
 - (4) श्रम (फैक्ट्री लायसेंस) क्र.:(यदि लागू हो)
 - (5) ई.एस.आई. क्र.:(यदि लागू हो)
 - (6) ई.पी.एफ. क्र. (यदि लागू हो)
 - (7) जी.एस.टी.(यदि लागू हो)
15. संलग्नक:- नियम 6 एवं 7 के अनुसार

उपाबंध-2
(नियम 6 देखें)
शपथ-पत्र

मैं/हम, एतद् द्वारा, शपथपूर्वक घोषित करता हूं/करते हैं कि

1. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य है तथा उसमें कोई तथ्य नहीं छुपाये गये हैं। मैं/हम तथ्यों से पूर्ण रूपेण सहमत हूं/हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही सिद्ध ना हो अथवा असत्य हो, तो मैं/हम विधि के अनुरूप कार्यवाही का सामना करूंगा/करेंगे।
2. यह कि सभी कानूनी सम्मतियां/स्थानीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र/आवश्यक अनुमति, विनिर्माण/गतिविधि के संचालन हेतु विद्यमान विधि, नियमन तथा प्रभावी नियमों के तहत प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
3. यह कि आवश्यक पंजीयन/लायसेंस तथा भू-व्यपवर्तन भी जहां अपेक्षित हो, संबंधित कानूनों, नियमों या प्रभावी आदेशों के तहत उक्त औद्योगिक गतिविधि के संचालन हेतु प्राप्त कर चुका हूं/चुके हैं।
4. यह कि औद्योगिक इकाई में वर्तमान उत्पाद के आवश्यकता अनुरूप यंत्र-संयंत्र स्थापित है एवं कार्यरत है।
5. यह कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय में सक्षम अधिकारी को इकाई के संबंध में सभी संशोधन अथवा परिवर्तन की स्थिति में यदि कोई हो, जैसा कि समय-समय पर अपेक्षित है, ऐसे संशोधन अथवा परिवर्तन के 15 दिवस के भीतर में अवगत कराने/सूचित करने का विधिक भार लेता हूं/लेते हैं।
6. यह कि वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत विवरणी, दस्तावेज अथवा सूचनाएं गलत अथवा जालसाजीपूर्ण पाया जाता है तो राज्य शासन की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत प्रदत्त सहायता अथवा वित्तीय सुविधाओं या लाभों को 12.50 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज सहित राज्य सरकार को मेरी/हमारी ओर से देय होगा।
7. यह कि सभी शर्तों का पालन करूंगा/करेंगे, जिसके चूक करने पर सक्षम अधिकारी वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रमाण-पत्र निरस्तीकरण के साथ-साथ प्रभावशील अन्य संबंधित कानून एवं नियमों के प्रावधानों के तहत कार्यवाही किये जाने का अधिकार रखेंगे।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

उपाबंध-3
(नियम 6 देखें)
चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र
(लेटर-हेड पर मूल प्रति में)
भाग-एक

1. औद्योगिक इकाईजिसका पंजीकृत पता है व फैक्ट्री.....में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा क्र/विस्तार/शवलीकरण /प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण हेतु जारी अभिस्वीकृति क्र.दिनांकहै, उनके नवीन इकाई/विद्यमान इकाई में विस्तार/शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण में दिनांक को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया है। इकाई में उद्योग आकांक्षा/विस्तार/शवलीकरण/प्रतिस्थापन/आधुनिकीकरण हेतु प्राप्त अभिस्वीकृति की तिथि (जो लागू हो) से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक.....तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 6 माह/12 माह/24 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार रूपये.....(अक्षरों में)..... है, जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन औद्योगिक इकाई के लेखा पुस्तकों/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान के पश्चात् किया गया है:-

क्र०	विवरण	उद्योग आकांक्षा / विस्तार / शवलीकरण / प्रतिस्थापन / आधुनि कीकरण हेतु प्राप्त अभिस्वीकृति की तिथि (जो लागू हो) से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् 6 माह / 12 माह / 24 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)	कुल निवेशित राशि (3+4)
1.	2.	3.	4.	5.
(1)	क. भूमि / भूखण्ड का क्षेत्रफलका वास्तविक क्रय मूल्य / भू-प्रब्याजि ख. मुद्रांक शुल्क ग. पंजीयन शुल्क घ. भूमि विकास - योग			
(2)	क. फैक्ट्री भवन / शेड ख. प्रयोगशाला भवन ग. अनुसंधान भवन घ. प्रशासकीय भवन ड. श्रमिक विश्राम कक्ष च. सिक्क्यूरिटी पोस्ट छ. माल गोदाम योग			

(3)	क. प्लांट एवं मशीनरी ख. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला ग. परीक्षण उपकरण घ. मशीनरी स्थापना संबंधी व्यय ड.. मशीनरी परिवहन संबंधी व्यय योग			
(4)	अनुसंधान एवं विकास में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण			
(5)	विद्युत आपूर्ति निवेश – विद्युत कनेक्शन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी/ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अथवा निजी कम्पनी को भुगतान की गई राशि (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
(6)	विद्युत आपूर्ति हेतु अन्य व्यय			
(7)	जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
(8)	अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र			
(9)	जल हार्वेस्टिंग/ पुनर्चक्रीकरण			
(10)	अन्य			
	योग			

2. मैं/हम एतद् द्वारा सुनिश्चित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम निर्धारित पंजी, लेखा पंजी एवं उक्त इकाई के संबंध में बैंक स्टेटमेंट का अवलोकन-सह-परीक्षण कर चुका हूँ/चुके हैं।
3. मैं/हम पूरी तरह से समझता हूँ/समझते हैं कि इस प्रमाण-पत्र में दर्शाये गये जानकारी यदि असत्य अथवा झूठ सिद्ध होती है तो मैं/हम दंडात्मक कार्यवाही या अन्य परिणाम जो विधि में निर्धारित हो सकें या अन्यथा सुनिश्चित हो, के योग्य होंगे।
4. मैं/हम संबंधित अधिकारी के समक्ष किसी भी प्रकार की सूचना जो सत्यापन हेतु अपेक्षित हो, तत्काल प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।

दिनांक.....

स्थान.....

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील व हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक
यूडीआईएन नं.

आवेदक के हस्ताक्षर

टीप –प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।

भाग-दो

स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची

शीर्ष – भूमि, शेड-भवन, प्लांट एवं मशीनरी / उपस्कर, अनुसंधान एवं विकास में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश, जल हार्वैस्टिंग / पुनर्चक्रीकरण, अन्य

क्र.	दिनांक	विक्रेता का नाम व पता तथा जी.एस.टी. क्रमांक	विवरण (जिस मद में निवेश / व्यय किया गया है, सामग्री / उपकरण / मशीनों के नाम का स्पष्ट उल्लेख)	देयक क्रमांक / चालान क्रमांक	राशि			भुगतान विवरण
					मूल्य	जी.एस.टी.	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

(1)

(2)

स्थान— हस्ताक्षर
दिनांक— आवेदक इकाई का नाम व पता

स्थान— हस्ताक्षर
दिनांक— नाम व पता सील
चार्टर्ड एकाउण्टेंट क्रमांक व दिनांक

- टीप:- 1- सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये, जिसमें व्यय के मद का स्पष्ट विवरण हो।
2- सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जाये।
3- निवेश / व्यय शीर्ष हेतु पृथक-पृथक सूची प्रस्तुत की जावे- जैसे भूमि, शेड भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश आदि
4- सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेंट के हस्ताक्षर युक्त हो।

भाग—तीन
इकाई के उत्पादन का विवरण, बिक्री एवं कर भुगतान के संबंध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाणपत्र

सी.ए. के लेटर हेड पर (केवल विद्यमान इकाई के विस्तार के प्रकरणों में लागू)
इकाई का नाम:
उत्पादन क्षमता: परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार

क्र.	माह	उत्पादन	बिक्री	विद्युत शुल्क	जीएसटी भुगतान की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	अप्रैल				
2	मई				
3	जून				
4	जुलाई				
5	अगस्त				
6	सितम्बर				
7	अक्टूबर				
8	नवम्बर				
9	दिसम्बर				
10	जनवरी				
11	फरवरी				
12	मार्च				
	योग				

- 1— मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं:—
यह कि उक्त सूची का मिलान मेरे/हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों, देयकों एवं अन्य दस्तावेजों से किया गया है एवं सत्य पाया गया है।
- 2— यह कि उक्त राशियों का भुगतान इकाई द्वारा दिनांक..... से की अवधि में वास्तव में किया गया है।
- 3— यह कि उक्त जानकारी समस्त संबंधित विभागों में जमा किये गये रिटर्न के अनुसार है।
यह कि मेरा/हमारा आवेदक इकाई से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक संबंध के अलावा कोई भी संबंध नहीं है।
- 4— यह कि उक्त परिशिष्ट में दी गई जानकारी मेरे/हमारे द्वारा प्रमाणित की गई है।
- 5— मैं/हम निम्नानुसार यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि इस प्रमाण-पत्र में कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक पायी जाती है तो छत्तीसगढ़ शासन को मेरे/हमारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं इस प्रकरण को The Institute of Chartered Accountants of India, New Delhi के समक्ष रखने का अधिकार होगा।

दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर

नाम..... पता:.....

.... सदस्यता क्र०

फर्मपंजीयन क्र०.....

टीप:- प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं स्टॉम्प अनिवार्य है।

उपाबंध-4
(नियम 6 देखें)

Chartered Engineer Certificate
Part - A. Plant & Machinery

1. I have visited the plant site of M/s to inspect and verify installation of plant & machinery for manufacturing of

2. This is to certify that the following plant & machinery has been installed at their unit situated at All plant & machinery is commissioned and in running condition.

S.No.	Name of Plant & Machinery and Building	Investment Before Expansion/Diversification Upto..... (In Rs.)	Investment During Expansion/Diversification From..... To..... (In Rs.)	Total Investment After Expansion/Diversification (In Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

3. Date of installation/commissioning.....

4. Date of inspection.....

5. All plant & machinery mentioned above is new.....

6. This certificate is issued after inspection and verification of the machines and document. It has been ensured that the information furnished is true and correct in all respect no part of it is false or misleading and no relevant information has been concealed or withheld.

Place:

Date:

Name.....

Signature & Seal.....

Membership No.

Note: 1. Above details should be certified by the Chartered Engineer on his letter head only.

2. It is to be clarified that plant & machinery means main manufacturing machine and manufacturing equipment such as tools, jigs, dies, and mould, GST and transportation charges paid on machinery.

Part - B. Civil Work

This is to certify that the construction of Civil Work of (Unit Name) manufacturing (Product Name) situated at (Location) is completed. I have inspected the said factory premises on (date of inspection). The details of the value of expenditure incurred as per approved MAP for Technical Civil Work from..... to (Date of Production) are as under:

Sr No	Description of Work	Area in Sq Ft	Rate per sq ft	Amount
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Factory Building			
2	Warehouse			
3	Administrative Building			
4	Labour Duty Room			
5	Security Guard Post			
6				
7				
8				

Name.

Signature & Seal.....

Membership No.

उपाबंध-5

(नियम 6 देखें)

भाग-एक. रोजगार संबंधी शपथ पत्र

1. मैं.....आत्मज.....स्वामी / साझेदार / संचालक / प्राधिकृत अधिकारी (औद्योगिक इकाई का नाम एवं पताकी ओर से यह शपथ पत्र भेजा हूँ कि औद्योगिक उपक्रम में संलग्न - 2 के अनुसार वर्तमान में कुल.....व्यक्ति नियोजित है जिसमें राज्य के मूल निवासी..... व्यक्ति है एवं अकुशल श्रमिकों के मामलेमें.....प्रतिशत, कुशल श्रमिकों के मामलों में.....प्रतिशत एवं प्रबंधकीय वर्गमें.....प्रतिशत रोजगार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार की सूची -3 अनुसार सही है।
2. यह भी शपथ पूर्वक प्रमाणिक किया गया है कि उपक्रम में नियोजित राज्य के मूल निवासी राज्य शासन/उद्योग संचालनालय द्वारा जारी अधिसूचना, परिभाषा/कार्यकारी निर्देशों के अनुरूप है उपक्रम में अधिकारियों/ कर्मचारियों/ श्रमिकों के मूल निवासी होने से संबंधित दस्तावेज संधारित है एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मांग किये जाने पर वांछित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करायी जावेगी।
3. मैं औद्योगिक इकाई की ओर से शपथपूर्वक यह भी घोषणा करता हूँ कि उपक्रम में "राज्य के मूल निवासियों को" रोजगार प्रदान करने हेतु राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अधिसूचना एवं उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा समय-समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों एवं प्रक्रियाओं का पालन करूँगा।
4. यह भी शपथ पूर्वक घोषित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा अपने उपक्रम के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से न्यूनतम 5 वर्ष अथवा अनुदान/ छूट प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार राज्य के मूल निवासियों को उपलब्ध कराया जावेगा।

स्थान:
दिनांक:

हस्ताक्षर

नाम:

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

सील

भाग-दो. औद्योगिक उपक्रम में उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार की जानकारी
उद्यम का नाम एवं पता

क्र.	श्रम संवर्ग		नवीन/विद्यमान उद्यम में प्रदत्त रोजगार			विद्यमान इकाई का विस्तार/ शवलीकरण/ प्रतिस्थापन/ आधुनिकीकरण			महायोग			कुल रोजगार में राज्य के मूल निवासियों का संवर्ग वार प्रतिशत
			राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर के निवासी	योग	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर के निवासी	योग	राज्य के मूल निवासी	राज्य के बाहर के निवासी	योग	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	अकुशल	पुरुष										
		महिला										
		अन्य										
2	कुशल	पुरुष										
		महिला										
		अन्य										
3	प्रबंधकीय	पुरुष										
		महिला										
		अन्य										
	योग											

औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

भाग— तीन. राज्य के मूल निवायियों को प्रदाय किये गये रोजगार की सूची (व्यक्तिवार,
अकुशल श्रम, कुशल श्रम एवं प्रबंधकीय)

औद्योगिक उपक्रम का नाम एवं पता :

क्रं.	नाम एवं स्थायी पता	पद	पद स्थापना का दिनांक	जन्म स्थान	वर्तमान निवास स्थान	मसिक वेतन/ मजदूरी	राज्य का मूल निवासी मान्य करने का आधार दस्तावेज	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अकुशल कर्मचारी								
1								
2								
कुशल कर्मचारी								
1								
2								
प्रबंधकीय / पर्यवेक्षकीय								
1								
2								

महत्वपूर्ण:— नियमित रोजगार एवं ठेकेदार के माध्यम से रोजगार दोनों के लिये पृथक-पृथक प्ररूप का उपयोग किया जावे तथा अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय वर्ग की सूची पृथक-पृथक दी जावे।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर :

नाम :

पद :

उपाबंध-6
(नियम 8 देखें)

PART-I

**Certificate of Commencement of Production Under New/Additional/Expansion/
diversification/substitution/Modernization**

Certificate no.....

Dated : dd/mm/yyyy

Name and address of the Industries Unit (With category of block):

Sector: General/Thrust/Core/Negative

Category of Entrepreneur: General/Women/SC/SC/Naxal affected/Ex-servicemen/ Retired
Agniveer/ NRI/FDI

This is to certify that on the basis of information furnished by M/S (entity name), PAN:....., (Micro/Small/Medium/Large) (manufacturing/service) enterprise at the address (address) in the State of Chhattisgarh, has commenced commercial production, as below:

1. Products manufactured/ service provided

Existing/New Unit					In case of expansion		
Sr. No.	Product/Service Name	Activity Code	Annual Capacity	Unit	Capacity added	Total Capacity after expansion	Date of Production
1	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled		
2	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled	Auto filled		
In case of Diversification/Substitution/Modernization							
3	Additional product/service under diversification	Auto filled	Auto filled	Auto filled	NA		

2. Total Fixed Capital Investment: (Rs in Lakh) (Details in Part-II)

3. Investment in Plant & Machinery: (Rs in Lakh) (3+4+5)

4. Total Employment: (Details in Part-III)

Notes :

1. This certificate is issued as per the provisions mentioned in the Industrial Development Policy 2024-30
2. In case of this being a new certificate of commencement of production, this document is to be read as-is.
3. Capacity/ Installed production capacity mentioned anywhere in this certificate, is as reported by the Industrial Unit only and certified by the Chartered Accountant in prescribed format.
4. Capital investment as indicated in this certificate is on the basis of information furnished by the Unit and information certified by the Chartered Accountant/ Unit (as the case may be) itself.
5. This is a one-time computer generated certificate and does not require any seal and signature. This certificate can be verified at <http://industries.cg.gov.in>
6. Any other remark (which may be necessary and important).....

7. In favour of the above Industrial unit, following production certificates have previously been issued :-

1- Letter No, Dated....., Issued by.....

2- Letter No, Dated....., Issued by.....

DIRECTOR/ADDL/JT.DIRECTOR
Directorate of Industries,
Chief General Manager/General Manager
District Trade & Industries Centre, Dist.-

PART-II

Capital Investment (Rupees in lakhs) as on date

(Date of production/ Expansion/ Diversification/ Substitution/Modernization or months after date of production)

Sr. No	Type of Asset	New Unit /Existing Unit		Expansion/ Diversification/ Substitution/Modernization of existing Unit		Total
		Till date of production	As on date	Till date of production	As on date	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Land/ Land Development					
2	Shed-Building					
3	Plant & Machinery/Equipment					
4	Plant & Machinery/Equipment For Research & Development					
5	Effluent Treatment Plant					
6	Electricity Connection					
7	Other Electrical					
8	Water Installation					
9	Water harvesting/ recycling/ zero waste					
10	Others					
	Total					

उपाबंध-7
(नियम 8 देखें)

Production/Service Activity continuity certificate

This is to certify that M/s..... (Name and Address of Unit) is manufacturing the products/providing the services mentioned in Production Certificate No. dated The unit is providing employment to domicile of Chhattisgarh as per clause of Industrial Development Policy 2024-30/ Industrial Policy (2019-24/2014-19). This certificate is valid for one year from the date of issuance.

Date:.....

DIRECTOR/ADDL/JT.DIRECTOR
Directorate of Industries,
Chief General Manager/General Manager
District Trade & Industries Centre, Dist.-.....